न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 92/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 बरजी देवी पत्नि छगन लाल रेगर उम्र–वयरक निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... प्रार्थीया

बनाम

1 उगमी देवी पत्नि स्व. नन्दलाल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 कमला पुत्री नन्दलाल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 गीता पुत्री गोकल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 छगनलाल पिता नन्दलाल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 प्रहलाद पिता नन्दलाल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 मंजू पुत्री नन्दलाल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7 मोहनी पुत्री गोकल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
8 राजकुमार पिता नन्दलाल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
9 रामस्वरूप पिता गोकल माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
10 राजू पिता कजोड रेगर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
11 पूरणमल पिता चान्दमल हरिजन उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
12 कमरूदीन पिता महबूब पिनारा उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
13 खाजू पिता महबूब पिनारा उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
14 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री अक्षयराज रेबारी————वकील प्रार्थीगण
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित
अनुपस्थित– विपक्षी क्रम 01 से 13

निर्णय

दिनांक 21.07.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कोठिया पटवार मण्डल क्षेत्र कोठिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 549 के आराजी संख्या 2165 प्रार्थीया के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीया स्वयं की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी खातेदारी भूमि में पहुंचना पडता है।———

——प्रार्थीया वर्षो से अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी भूमि में से होकर आते जाते रहे है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 01 से 13 की आराजी संख्या 2157, 2166, 2167, की मेड के सहारे–सहारे 15 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के सहखातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 13 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 2157, 2166, 2167, भूमि की मेड के सहारे–सहारे 15 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 17.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, दलील प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना नियत सुनवाई पर गैर हाजिर रहने से विरूद्ध अप्रार्थीगण 01 लगायत 11 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि खसरा संख्या 2166, 2167, 2157 की दक्षिणी मेड एवं 5056/2162, 2161 की उत्तरी मेड से नवीन मार्ग दिया जाना सुगमतम एवं निकटतम होगा। इन खसरान में से खसरा संख्या 2161 उगमा पिता कालू रेगर व अन्य के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। खसरा संख्या 2161 की उत्तरी मेड पर पक्की नहर निर्मित है, जंहा से प्रार्थीया आवागमन करती रही है।

प्रार्थीया को अपने खसरे में पहुंच हेतु तहसीलदार द्वारा दो नवीन मार्ग कायमी हेतु प्रस्तावित किए गये है, और उन दोनों प्रस्तावित किए गये रास्ते में खसरा संख्या 2161 का रकबा प्रभावित हो रहा है।

प्रार्थीया के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित/वैकल्पिक रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनापत्र अनुसार चाहा गया नवीन मार्ग निकटतम नही है। जिससे अप्रार्थीगण का रकबा अनावश्यक रूप से प्रभावित हो रहा है।
2. भू.अ.निरीक्षक मार्फत तहसीलदार फूलियाकलां से तलब की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भी यह उल्लेखित किया गया है प्रार्थीया को अपने खसरे में आवागमन हेतु कम से कम रकबा प्रभावित करने वाले रास्ते में खसरा संख्या 2161 प्रभावित हो रहा है, एवं यह रास्ता उत्तरी मेड में से होकर गुजरेगा।
3. खसरा संख्या 2166, 2167, 2157 की दक्षिणी मेड एवं 5056/2162, 2161 की उत्तरी मेड से नवीन मार्ग दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इन खसरान में से खसरा संख्या 2161 उगमा पिता कालू रेगर व अन्य के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।——

——एवं इन सद्भाविक सहखातेदारान को प्रार्थीया द्वारा बतौर पक्षकार संयोजित नही कर, एक विधिक भूल अपने प्रार्थनापत्र में कारित की गई है। प्रार्थनापत्र के विचारण दौरान भी समय रहते प्रार्थीया की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रकरण में अपेक्षित पक्षकारान के संयोजन की इम्दाद भी नही चाही गई। न्यायालय यह समझता है कि खसरा संख्या 2161 के वर्तमान खातेदारान का पक्ष बिना सुने, उनके हक स्वामित्व वाले खसरे में से नवीन मार्ग कायम किया जाना न्याय संगत नही होगा।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से न्यायालय को यह अवगत कराया है कि अप्रार्थीगण के खसरान संख्या 2157, 2166, 2167 में से प्रार्थीया का वर्षो से आवागमन रहा है। परन्तु भू.अ. निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित किए गये दोनों रास्तों में आराजी संख्या 2161 का रकबा प्रभावित होना बताया गया है। लेकिन प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र में खसरा संख्या 2161 का कहीं कोई उल्लेख नही किया है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण न्यायिक भूल कारित कर, प्रार्थीया ने यह प्रार्थनापत्र दोषयुक्त प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) से चाहा गया अनुतोष पोषणीय नही होने से देय नही है।

आदेश

प्रार्थनापत्र प्रार्थीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) दोषयुक्त एवं अधुरे तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक *21.07.2023* को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा